सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

मुलचन्द बनाम किशोरीलाल आदि

अ.प्र.अ. 212 RT Act 76/2023

11/11/25	पत्रावली प्रार्थी मुलचन्द के आवेदन पत्र व विपक्षीगण की पूर्व आपत्ति से पूर्व पेश हुई। प्रार्थी मुलचन्द व वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति की भूमि नहीं रहा है। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर्ता अ.प्र. किशोरीलाल उर्फ प्रार्थी उपस्थित कलक्टर के समक्ष आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। अतः प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र अ.प्र. धारा 212 RT Act को पेश से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा रोकर कार्यवाही समाप्त समझी जावे। निर्णय आज दिनांक 11/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं चाहता। मुलचन्द पदेन सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर